राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक F27( )RDD-5/PMAY-G/V.C/2021-22-03062 जयपुर दिनांक 20 अगस्त, 2024

–:: बैठक कार्यवाही विवरण ::–

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत अधिशाषी अभियंता, जिला परिषद समस्त के साथ दिनांक 20.08.2024 को सांय 4.00 से 5.00 बजे तक (NIC के माध्यम से) समिति कक्ष, उत्तर–पश्चिम भवन, ग्रामीण विकास विभाग से वीसी बैठक आयोजित की गई।

समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण/IAY/CMBPL आवास योजना अंन्तर्गत निम्न निर्देश प्रदान किये गयेः–

1. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "आवास प्लस" की सूची में शामिल होने से शेष रहे पात्र परिवारों को सर्वे से पूर्व तैयारी के क्रम में जिलों को ऑनलाईन पंजीकरण की कार्यवाही का विस्तृत प्रशिक्षण दिया जा कर इस क्रम में बैठक के दौरान तकनीकी समस्याओं का निराकरण किया गया।
2. भारत सरकार के निर्देशानुसार ग्राम पंचयातवार एक सर्वेकर्ता का विवरण पंचायत समिति स्तर से दिनांक 21.08.2024 तक "आवास सॉफ्ट" पर आवश्यक रूप से पंजीकरण कराने हेतु निर्देशित किया गया।
3. "आवास सॉफ्ट" पर प्रदर्शित प्रगति अनुसार निम्न जिलों की पंजीकरण की प्रगति शून्य है :– बांसवाडा, दौसा, डीग, धौलपुर, दूदू, हनुमानगढ, जयपुर, जोधपुर, केकडी, खेरथल–तिजारा, कोटपुतली – बहरोड, नीम का थाना, प्रतापगढ, राजसमन्द, सलुम्बर, शाहपुरा एवं उदयपुर।
4. उक्त जिलों को "आवास सॉफ्ट" पर अविलम्ब पंजीकरण कराने हेतु निर्देशित किया गया।
5. जिला उदयपुर में ईन्टरनेट सेवा बन्द होने के क्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को मार्गदर्शन हेतु ई–मेल प्रेषित किया गया है
6. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण/IAY/CMBPL आवास के विवादित आवासों को विभागीय ऑनलाईन मॉड्यूल पर दर्ज श्रेणीयों की समीक्षा हेतु जिला स्तर पर विकल्प उपलब्ध कर दिया जावेगा, जिससे श्रेणी ए एवं बी की पुनः समीक्षा की जा सके। साथ ही ऑनलाईन मॉड्यूल पर दर्ज श्रेणी ए के प्रकरणों की समीक्षा कर प्रगतिरत आवासों को 1 माह में पूर्ण कराकर लेवल – 7 की रिपोर्ट अपलोड कराई जावे।
7. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत "आवास प्लस" की वरीयता सूची में शेष रहे 8.67 लाख पात्र परिवारों के आधार कार्ड का सत्यापन कर आवास सॉफ्ट पर पंजीकरण की कार्यवाही की जावे।
8. विभागीय स्तर पर तैयार online application पर उपलब्ध Land Less के विकल्प पर भूमिहीन लाभार्थियों की प्रविष्टि दर्ज की जावे, साथ ही भूमिहीन परिवारों को प्राथमिकता से भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावे।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kishor Sharma
Designation: Superintending Engineer
Date: 2024.08.20 18:08:44 IST
Reason: Approved

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियंता

RajKaj Ref No.: 9881455

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्राविवि।
3. जिला कलक्टर, जिला समस्त।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
5. अधिशाषी अभियंता, जिला परिषद समस्त।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
7. प्रोग्रामर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kishor Sharma
Designation : Superintending Engineer
Date: 2024.08.20 18:08:44 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 9881455